

BM COMPUTERS

A COMPLETE IT SOLUTION STORE

ALL LEADING BRANDS
UNDER ONE ROOF



92580 333 62

Hari World Complex,
Sanjay Place, Agra - 282002

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बच्चों के लिए भी इंटरनेट मौलिक अधिकार, उम्र देखकर नहीं लगा सकते प्रतिबंध

- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को बच्चों सहित मौलिक अधिकार घोषित किया
- बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा हेतु चाइल्ड मोड अपनाने का सुझाव दिया

गोरखपुर में कत्ल: 'तुम मारो, मैं वीडियो बना रहा हूं...'

गोरखपुर। गोरखपुर के हरपुर बुद्धेट के करनपुरा गांव में शिवम उर्फ आदर्श पांडेय की हत्या के मामले में मृतक के मोबाइल में मिला वीडियो जांच की अहम कड़ी बन गया है। वारदात से पहले शिवम ने आरोपियों के साथ हुए विवाद को मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में उसके ह्वातुम मारो, मैं वीडियो बना रहा हूँ कहने की बात सामने आई है। उधर, पुलिस ने आरोपियों के बेटे समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश में उनके रिश्तेदारों और संपर्कों की जानकारी जुटाने के साथ कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। वारदात के बाद इस्तेमाल की गई मोपेड और लाइसेंसी बंदूक का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। करनपुरा गांव में बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे खेत की जुताई को लेकर शुरू हुआ विवाद गोलीकांड में बदल गया था। आरोप है कि 60 वर्षीय चचेरे भाई लवकुश पांडेय ने अपने 63 वर्षीय भाई राधेश्याम पांडेय को शिवम पर गोली चलाने के लिए ललकारा। इसके बाद राधेश्याम ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली शिवम की पीठ में लगी और सीने को चीरते हुए निकल गई। घायल शिवम करीब 50 मीटर तक भागा, लेकिन सड़क के पास गिर पड़ा। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी अपनी मोपेड से मौके से भाग गए।

क्या पहले से तैयार थी 5 मौतों की स्क्रिप्ट?

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में रबपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीगोपाल गांव की शनिवार की सुबह एक बुरी खबर के साथ हुई। लोग सुबह अपने घरों से निकले तो पता चला कि महेश का पूरा परिवार खत्म हो गया है। यह खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली तो हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो महेश और एक बच्चा चरपाई पर मृत पड़े मिले तो बेड पर पत्नी और दो बच्चे मृत पड़े थे। एक छोटा बच्चा मां की गोद से चिपका हुआ था। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि गांव में एक परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पांच लोगों की एक साथ मौत की खबर सुनते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं, मौके पर पहुंची थाना पुलिस और अधिकारियों ने गांव वालों से घटना के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि महेश परिवार के साथ शुक्रवार को मेले में भी गया था। रात में मेले से वापस आने के बाद घर में मैगी बनाई गई और परिवार के सभी सदस्यों ने

मैगी में जहर मिलाकर खाने की चर्चा

गांव के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि महेश शुक्रवार को परिवार के साथ मेले में गया था। वहीं से वह जहर लेने के लिए निकल गया था। चर्चा है कि महेश ने अपने और परिवार के सदस्यों के खाने (मैगी) में जहर मिलाया था, जिसे खाने से पांचों की मौत हो गई। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

संपत्ति को लेकर नाराज था महेश

महेश के ससुराल वालों का आरोप है कि करीब छह माह पहले महेश की मां ने करीब 10 बीघा जमीन अपनी बेटी और उसके पति के नाम कर दी थी। इससे पूरा परिवार बहुत ही आहत था। जिस मकान में यह परिवार रह रहा था, उसे भी महेश की मां ने बेटी के ही नाम कर दिया था। वर्ष 2015-16 में मुआवजा मिला तो उसी धनराशि से रबपुरा में मकान बनाया गया था।



मैगी खाई थी। बताया कि सभी ने चाय भी पी थी। बस यहीं से कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब तलाशने में पुलिस, फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम और एंबुलेंस एवं फूड एंड सेफ्टी विभाग जुटा हुआ है।

पहले के फैसले का दिया हवाला

पीठ ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया था कि इंटरनेट के माध्यम से बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी तथा कोई भी व्यापार या कारोबार करने की आजादी, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक रूप से संरक्षित है। उस फैसले में अदालत ने इस बात पर कोई राय नहीं दी थी कि क्या इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है या नहीं। पीठ ने प्रज्ञा प्रसून व अन्य बनाम भारत संघ मामले में 2025 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।

उपयोग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1) के तहत हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। हमारे बच्चों को भी चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो यही अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों से उन्हें पूरी तरह वंचित करना उतना ही बेतुका होगा, जितना यह कहना कि एक निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चों में न तो कोई ऐसी चेतना है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और न ही कोई ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसे व्यक्त किया जाना चाहिए। हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हमारे बच्चों को ये दोनों ही अधिकार मिलने चाहिए। पीठ ने माना कि इंटरनेट अपने मौजूदा रूप में बच्चों की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा हानिकारक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने में विफल रहने के कारण बच्चों की पहुंच को सीमित करना असल में पीड़ित को ही समस्या मान लेने जैसा होगा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बच्चों समेत हर व्यक्ति इंटरनेट तक पहुंच और उसके इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1) का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। लाइवलों की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सुझाव दिया कि बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल से पूरी तरह रोकने के बजाय सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए चाइल्ड मोड जैसे उपाय अपनाकर उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (उएअट) का पता लगाने और उसे हटाने के तंत्र को मजबूत करने के निर्देश देते हुए ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इंटरनेट तक पहुंचने और उसका